न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 105 / 2020 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2020 / 00151
दायर दिनांक :– 19.08.2020 **निर्णय दिनांक :–** 18.10.2024

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
मोहम्मद पुत्र हकीम खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी ग्राम कालू खां की ढाणी तहसील बाप जिला जोधपुर		1. नेमत पत्नी आमद खां 2. आमद खां पुत्र आमद खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी ग्राम कालूखां की ढाणी तहसील बाप जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी की खातेदारी अधिकारों की खरीदसुदा भूमि खसरा नम्बर 973 / 4 रकबा 17–00 बीघा भूमि सहरद मौजा कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि को वादी ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के खरीद की थी और सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार वादी का मौके पर शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। वादी ने सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि पर खूंटे रोप कर तारबन्दी कर रखी है तथा वादी ने उक्त भूमि की पूर्व में पटवारी हल्का से पैमाईश करवा कर ही सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि पर ही खूंटे रोप कर तारबन्दी है जो मौके पर मौजूद है। जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस सलंग्न वाद पेश है। वादी उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। वादी का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 972 के चिपता कब्जा व काश्त चला आ रहा है। नजरी संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे उक्त वाद पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे। वादी की खातेदारी की भूमि के चिपते ही उत्तर पश्चिम की तरफ प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 972 / 1 रकबा 6–19 बीघा व खसरा नम्बर 972 / 3 रकबा 7–00 बीघा स्थित है लेकिन खसरा नम्बर 972 का नक्शा ट्रेस का रकबा जमबान्दी से कम है इसलिये प्रतिवादी स. 2 की पत्नी प्रतिवादी सं. 1 वादी की संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खातेदारी की भूमि पर कब्जा करना चाहती है जो सरासर गलत है। अभी दिनांक 04 / 08 / [illegible] की सार संभाल कर रहा था तभी प्रतिवादी सं. 1 व उसके पुत्र एवं पुत्री वादी की [illegible] भूमि में आए और वादी द्वारा रोपे गये खूंटे व तारबन्दी में कब्जा करने ल[illegible] प्रतिवादी सं. 1 [illegible]के पुत्र एवं पुत्री ने धमकी दी कि हम तुम्हे तुम्हारी खातेदारी की भूमि से [illegible] दंगे। उस दिन तो वादी ने प्रतिवादी सं. 1 व उसके पुत्र व पुत्री को समझा बुझा कर निकाल दिया [illegible] जाते हुए प्रतिवादी सं. 1 व उसके पुत्र व पुत्री ने धमकी दी कि आइन्दा पुनः आकर तुम्हारी खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर

18-10-24
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:00 IST
Reason: SelfAttested

लेंगे। प्रतिवादी सं. 1 व उसके पुत्र व पुत्री अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर प्रतिवादी सं. 1 व उसके पुत्र व पुत्री अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो वादी को अपने खातेदारी अधिकारों का कुठाराघात होगा। जिसका मुल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है। वादी गरीब एवं असहाय है तथा प्रतिवादी सं. 1 व उसके पुत्र व पुत्री साधन संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका मुकाबला करने में वादी असमर्थ है। इसलिये प्रतिवादी सं. 1 व उसके पुत्र व पुत्री को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः स्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे की ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर खसरा नम्बर 973/4 रकबा 17–00 बीघा भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो प्रतिवादी सं. 1 स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह वाद पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी मोहम्मद पुत्र हकीम खां ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया एवं इनके बयान पी–डब्लू–1 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई

हमने अधिवक्ता वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादी की खातेदारी अधिकारों की खरीदसुदा भूमि खसरा नम्बर 973/4 रकबा 17–00 बीघा भूमि सहरद मौजा कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि को वादी ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के खरीद की थी और सलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादी का मौके पर शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। वादी ने सलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि पर खूंटे रोप कर तारबन्दी कर रखी है तथा वादी ने उक्त भूमि की पूर्व में पटवारी हल्का से पैमाईश करवा कर ही सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि पर ही खूंटे रोप कर तारबन्दी है जो मौके पर मौजूद है। वादी उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। स्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे की ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर खसरा नम्बर 973/4 रकबा 17–00 बीघा भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो प्रतिवादी सं. 1 स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी जाकर [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन [illegible] करने पर पाया गया कि वादी की खातेदारी अधिकारों की खरीदसुदा भू[illegible] नम्बर 973/[illegible] 17–00 बीघा भूमि सहरद मौजा कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील [illegible] है। उक्त भूमि को वादी ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के खरीद की थी। जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 472 में वादग्रस्त भूमि वादी के नाम दर्ज रेकर्ड है। वादी को अपने खातेदारी अधिकारों एवं तरमीम शुदा भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:00 IST
Reason: SelfAttested

16.10.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व जारी की जानी उचित समझते है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 973/4 रकबा 17.00 बीघा भूमि में वादी के अपने खातेदारी की भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय करे न ही किसी अन्य से करावे। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर (एवं)
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:00 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
मोहम्मद पुत्र हकीम खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी ग्राम कालू खां की ढाणी तहसील बाप जिला जोधपुर		1. नेमत पत्नी आमद खां 2. आमद खां पुत्र आमद खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी ग्राम कालूखां की ढाणी तहसील बाप जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 105/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एव डिगरी दी जाती है कि स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 973/4 रकबा 17.00 बीघा भूमि में वादी के अपने खातेदारी की भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय करे न ही किसी अन्य से करावे। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.10.2024 को जारी की गई।

18.10.24

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:00 IST
Reason: SelfAttested